मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015 वैशाख 25, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

क्र. 959/स्था/प्रनिबो/2015.—मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-53 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 1229/3977/2014/32, भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के द्वारा पूर्व अनुमोदन उपरांत बोर्ड के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड विश्लेषक नियुक्त करता है:-

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम
1.	2.	3.
1.	डॉ. रीता कोरी	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
2.	डॉ. शोभा धानेकर	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
3.	डॉ. राकेश सिंह परिहार	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
4.	श्री प्रेमचंद उचारिया	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
5.	डॉ. अभय कुमार सक्सेना	मुख्य रसायनज्ञ
6.	श्रीमती सुरेखा सोनवाने	मुख्य रसायनज्ञ
7.	श्री डी. एन. गदेवाडीकर	मुख्य रसायनज्ञ
8.	सुश्री रीता तिवारी	मुख्य रसायनज्ञ
9.	श्री पी. आर. देव	मुख्य रसायनज्ञ
10.	श्रीमती अर्पणा बापट	मुख्य रसायनज्ञ
11.	श्री नेत्रपाल सिंह	मुख्य रसायनज्ञ

1.	2.	3.
12.	श्री अमोलदास संत	मुख्य रसायनज्ञ
13.	डॉ. गुणवंत जोशी	मुख्य रसायनज्ञ
14.	डॉ. राजेश कुमार जैन	मुख्य रसायनज्ञ
15.	डॉ. सुरेश कुमार श्रृंगी	मुख्य रसायनज्ञ
16.	श्री अरविन्द केशवरे	मुख्य रसायनज्ञ
17.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	मुख्य रसायनज्ञ
18.	डॉ. दिलीप कुमार वागेला	मुख्य रसायनज्ञ
19.	डॉ. लोकेन्द्र त्रिवेदी	मुख्य रसायनज्ञ
20.	डॉ. अरूण कुमार श्रीवास्तव	मुख्य रसायनज्ञ
21.	श्री गुटानी आम्बुलकर	मुख्य रसायनज्ञ
22.	श्री सुखनंदन पाटिल	मुख्य रसायनज्ञ
23.	डॉ. सुनील दत्त तिवारी	वैज्ञानिक
24.	डॉ. शंकर प्रसाद बढौलिया	वैज्ञानिक
25.	श्री राजेन्द्र कुमार मालवीय	वैज्ञानिक
26.	डॉ. श्यामानुज तिवारी	वैज्ञानिक
27.	डॉ. प्रभाशंकर शर्मा	वैज्ञानिक
28.	श्री सुनील श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
29.	श्री आलोक सक्सेना	वैज्ञानिक
30.	डॉ. नीरज कुमार वर्मा	वैज्ञानिक
31.	डॉ. अविनाश चन्द्र करेरा	वैज्ञानिक
32.	डॉ. प्रेम कुमार श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
33.	डॉ. निशा उपाध्याय	वैज्ञानिक
34.	डॉ. राजश्री शुक्ला	वैज्ञानिक
35.	डॉ. ललिता शर्मा	वैज्ञानिक
36.	डॉ. प्रतिमा जोशी	वैज्ञानिक
37.	श्री प्रतिम खरे	वैज्ञानिक
38.	श्री आनन्द किशोर दुबे	वैज्ञानिक
39.	डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी	वैज्ञानिक
40.	डॉ. सरोज श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
41.	डॉ. आरती अग्रवाल	वैज्ञानिक
42.	डॉ. शेतबंधु तिवारी	वैज्ञानिक
43.	श्री एस. एस. पण्ड्या	वैज्ञानिक
44.	डॉ. सुनील कुमार खरे	वैज्ञानिक
45.	डॉ. एस. सुनील सुधाकरण	वैज्ञानिक
46.	श्रीमती तसनीम सूफी खॉन	वैज्ञानिक

1.	2.	3.
47.	श्री दुरविजय सिंह जाटव	वैज्ञानिक
48.	श्री बिजेन्द्र कुमार वर्मा	वैज्ञानिक
49.	डॉ. संध्या मोखले	वैज्ञानिक
50.	श्री अतुल कोटिया	वैज्ञानिक
51.	श्री हर्षवर्द्धन ठक्कर	वैज्ञानिक
52.	श्रीमती संगीता आर. दानी	वैज्ञानिक
53.	श्री सुनील व्यास	वैज्ञानिक
54.	श्री चन्द्रकांत शर्मा	वैज्ञानिक
55.	श्री रामनारायण देशवाली	वैज्ञानिक
56.	श्री विष्णु किशोर बघेल	वैज्ञानिक
57.	श्री अजय मिश्रा	कनिष्ठ वैज्ञानिक
58.	श्री ताराशंकर बैनर्जी	कनिष्ठ वैज्ञानिक
59.	श्रीमती पद्मा व्यास	कनिष्ठ वैज्ञानिक
60.	डॉ. हरीश बी. वानखेड़े	कनिष्ठ वैज्ञानिक
61.	श्री संजीव कुमार सक्सेना	कनिष्ठ वैज्ञानिक
62.	डॉ. आनन्द द्विवेदी	कनिष्ठ वैज्ञानिक
63.	डॉ. राजकुमारी सिंह	कनिष्ठ वैज्ञानिक
64.	श्री राकेश कुमार जैन	कनिष्ठ वैज्ञानिक
65.	डॉ. अजय कुमार खरे	कनिष्ठ वैज्ञानिक
66.	श्री संजय कुमार जैन	कनिष्ठ वैज्ञानिक
67.	डॉ. दीपक काले	कनिष्ठ वैज्ञानिक
68.	श्रीमती ललिता सेनवार	कनिष्ठ वैज्ञानिक
69.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	कनिष्ठ वैज्ञानिक
70.	श्री असद उल्ला बैग	कनिष्ठ वैज्ञानिक
71.	डॉ. माजिद मो. कुरेशी	कनिष्ठ वैज्ञानिक
72.	डॉ. राहुल द्विवेदी	कनिष्ठ वैज्ञानिक
73.	श्री राजमल गामड	कनिष्ठ वैज्ञानिक
74.	श्रीमती प्रेमलता ससोनगरा	रसायनज्ञ
75.	डॉ. संजय मिश्रा	रसायनज्ञ
76.	श्री राजाराम भंवर	रसायनज्ञ
77.	श्री हरीशंकर शर्मा	रसायनज्ञ
78.	श्रीमती चंचला पाठक	रसायनज्ञ
79.	डॉ. शुभी माथुर	रसायनज्ञ
80.	डॉ. प्रवीण कोठारी	रसायनज्ञ
81.	श्री प्रदीप कुमार जैन	रसायनज्ञ

1.	2.	3.
82.	श्री महेन्द्र सिंह	रसायनज्ञ
83.	डॉ. अशोक कुमार तिवारी	रसायनज्ञ
84.	श्री डी. के. शर्मा	रसायनज्ञ
85.	श्री जय कुमार राजोरिया	रसायनज्ञ
86.	श्री सुबोध भार्गव	रसायनज्ञ
87.	श्री एस. एन. कटारे	रसायनज्ञ
88.	श्रीमती अरूणा चौबे	रसायनज्ञ
89.	श्रीमती मीना मिश्रा	रसायनज्ञ
90.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	रसायनज्ञ
91.	श्री राज कुमार जैन	रसायनज्ञ
92.	श्रीमती अवन्ति हिण्डोलिया	रसायनज्ञ
93.	श्रीमती सुनीता झोरे	रसायनज्ञ
94.	श्रीमती किरण शाक्य	रसायनज्ञ
95.	श्रीमती अमिया एक्का	रसायनज्ञ
96.	श्री गणेश कुमार बैगा	रसायनज्ञ
97.	श्री रविशंकर भारती	रसायनज्ञ
98.	श्री रामदास बाघ	रसायनज्ञ
99.	श्री विजय किशोर श्रीवास्तव	रसायनज्ञ
100.	श्रीमती सीमा सोनी	रसायनज्ञ
101.	श्रीमती ऊषा कीर	रसायनज्ञ
102.	श्रीमती विनीता गौतम	रसायनज्ञ
103.	श्री दिलीप केशरे	रसायनज्ञ
104.	श्री अखिलेश सिंह सिकरवार	रसायनज्ञ
105.	श्री संतोष कुमार तिवारी	रसायनज्ञ
106.	श्री बिजेन्द्र सिंह ठाकुर	रसायनज्ञ
107.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	रसायनज्ञ
108.	श्री सुशील कुमार मिश्रा	रसायनज्ञ
109.	श्री ब्रजमोहन पटेल	रसायनज्ञ
110.	श्री संतोष सिंह चौहान	रसायनज्ञ
111.	श्री चन्द्रशेखर पटेल	रसायनज्ञ
112.	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	रसायनज्ञ
113.	श्री राजेश कुमार गाभे	रसायनज्ञ
114.	श्री बल्देव सिंह ठाकुर	रसायनज्ञ
115.	श्री अशोक कुमार रामावत	रसायनज्ञ
116.	श्री देवेन्द्र सोलंकी	रसायनज्ञ

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए
तथा आदेशानुसार.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

क्र. 960/स्था/प्रनिबो/2015.—मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-29 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 1229/3977/2014/32, भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के द्वारा पूर्व अनुमोदन उपरांत बोर्ड के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड विश्लेषक नियुक्त करता है:-

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम
1.	2.	3.
1.	डॉ. रीता कोरी	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
2.	डॉ. शोभा धानेकर	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
3.	डॉ. राकेश सिंह परिहार	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
4.	श्री प्रेमचंद उचारिया	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
5.	डॉ. अभय कुमार सक्सेना	मुख्य रसायनज्ञ
6.	श्रीमती सुरेखा सोनवाने	मुख्य रसायनज्ञ
7.	श्री डी. एन. गदेवाडीकर	मुख्य रसायनज्ञ
8.	सुश्री रीता तिवारी	मुख्य रसायनज्ञ
9.	श्री पी. आर. देव	मुख्य रसायनज्ञ
10.	डॉ. गुणवंत जोशी	मुख्य रसायनज्ञ
11.	डॉ. राजेश कुमार जैन	मुख्य रसायनज्ञ
12.	डॉ. सुरेश कुमार श्रृंगी	मुख्य रसायनज्ञ
13.	श्री अरविन्द केशवरे	मुख्य रसायनज्ञ
14.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	मुख्य रसायनज्ञ
15.	डॉ. दिलीप कुमार वागेला	मुख्य रसायनज्ञ
16.	डॉ. लोकेन्द्र त्रिवेदी	मुख्य रसायनज्ञ
17.	डॉ. अरूण कुमार श्रीवास्तव	मुख्य रसायनज्ञ
18.	श्री गुटानी आम्बुलकर	मुख्य रसायनज्ञ
19.	श्री सुखनंदन पाटिल	मुख्य रसायनज्ञ
20.	डॉ. सुनील दत्त तिवारी	वैज्ञानिक
21.	डॉ. शंकर प्रसाद बढौलिया	वैज्ञानिक
22.	श्री राजेन्द्र कुमार मालवीय	वैज्ञानिक
23.	डॉ. श्यामानुज तिवारी	वैज्ञानिक
24.	डॉ. प्रभाशंकर शर्मा	वैज्ञानिक
25.	श्री सुनील श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
26.	डॉ. आलोक सक्सेना	वैज्ञानिक
27.	डॉ. नीरज कुमार वर्मा	वैज्ञानिक
28.	डॉ. अविनाश चन्द्र करेरा	वैज्ञानिक
29.	डॉ. प्रेम कुमार श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
30.	डॉ. निशा उपाध्याय	वैज्ञानिक
31.	डॉ. राजश्री शुक्ला	वैज्ञानिक

1.	2.	3.
32.	डॉ. ललिता शर्मा	वैज्ञानिक
33.	डॉ. प्रतिमा जोशी	वैज्ञानिक
34.	श्री प्रतिम खरे	वैज्ञानिक
35.	डॉ. आनन्द किशोर दुबे	वैज्ञानिक
36.	डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी	वैज्ञानिक
37.	डॉ. सरोज श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
38.	डॉ. आरती अग्रवाल	वैज्ञानिक
39.	डॉ. शेतबंधु तिवारी	वैज्ञानिक
40.	श्री एस. एस. पण्ड्या	वैज्ञानिक
41.	डॉ. सुनील कुमार खरे	वैज्ञानिक
42.	डॉ. एस. सुनील सुधाकरण	वैज्ञानिक
43.	श्रीमती तसनीम सूफी खॉन	वैज्ञानिक
44.	श्री दुरविजय सिंह जाटव	वैज्ञानिक
45.	श्री बिजेन्द्र कुमार वर्मा	वैज्ञानिक
46.	डॉ. संध्या मोखले	वैज्ञानिक
47.	श्री अतुल कोटिया	वैज्ञानिक
48.	श्री हर्षवर्द्धन ठक्कर	वैज्ञानिक
49.	श्रीमती संगीता आर. दानी	वैज्ञानिक
50.	श्री चन्द्रकांत शर्मा	वैज्ञानिक
51.	श्री रामनारायण देशवाली	वैज्ञानिक
52.	श्री विष्णु किशोर बघेल	वैज्ञानिक
53.	श्री अजय मिश्रा	कनिष्ठ वैज्ञानिक
54.	श्री ताराशंकर बैनर्जी	कनिष्ठ वैज्ञानिक
55.	श्रीमती पद्मा व्यास	कनिष्ठ वैज्ञानिक
56.	डॉ. हरीश बी. वानखेड़े	कनिष्ठ वैज्ञानिक
57.	श्री संजीव कुमार सक्सेना	कनिष्ठ वैज्ञानिक
58.	डॉ. आनन्द द्विवेदी	कनिष्ठ वैज्ञानिक
59.	डॉ. राजकुमारी सिंह	कनिष्ठ वैज्ञानिक
60.	श्री राकेश कुमार जैन	कनिष्ठ वैज्ञानिक
61.	डॉ. अजय कुमार खरे	कनिष्ठ वैज्ञानिक
62.	श्री संजय कुमार जैन	कनिष्ठ वैज्ञानिक
63.	डॉ. दीपक काले	कनिष्ठ वैज्ञानिक
64.	श्रीमती ललिता सेनवार	कनिष्ठ वैज्ञानिक
65.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	कनिष्ठ वैज्ञानिक
66.	श्री असद उल्ला बैग	कनिष्ठ वैज्ञानिक
67.	डॉ. माजिद मो. कुरेशी	कनिष्ठ वैज्ञानिक
68.	डॉ. राहुल द्विवेदी	कनिष्ठ वैज्ञानिक
69.	श्री राजाराम भंवर	कनिष्ठ वैज्ञानिक

1.	2.	3.
70.	श्री राजमल गामड	कनिष्ठ वैज्ञानिक
71.	डॉ. संजय मिश्रा	रसायनज्ञ
72.	श्री हरीशंकर शर्मा	रसायनज्ञ
73.	श्रीमती चंचला पाठक	रसायनज्ञ
74.	डॉ. शुभी माथुर	रसायनज्ञ
75.	डॉ. प्रवीण कोठारी	रसायनज्ञ
76.	डॉ. अशोक कुमार तिवारी	रसायनज्ञ
77.	श्री डी. के. शर्मा	रसायनज्ञ
78.	श्री जय कुमार राजोरिया	रसायनज्ञ
79.	श्री सुबोध भार्गव	रसायनज्ञ
80.	श्री एस. एन. कटारे	रसायनज्ञ
81.	श्रीमती अरूणा चौबे	रसायनज्ञ
82.	श्रीमती मीना मिश्रा	रसायनज्ञ
83.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	रसायनज्ञ
84.	श्रीमती सुनीता झोरे	रसायनज्ञ
85.	श्रीमती किरण शाक्य	रसायनज्ञ
86.	श्रीमती अमिया एक्का	रसायनज्ञ
87.	श्रीमती विनीता गौतम	रसायनज्ञ
88.	श्री बिजेन्द्र सिंह ठाकुर	रसायनज्ञ
89.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	रसायनज्ञ
90.	श्री सुशील कुमार मिश्रा	रसायनज्ञ
91.	श्री ब्रजमोहन पटेल	रसायनज्ञ
92.	श्री संतोष सिंह चौहान	रसायनज्ञ
93.	श्री चन्द्रशेखर पटेल	रसायनज्ञ
94.	श्री अशोक कुमार रामावत	रसायनज्ञ
95.	श्री देवेन्द्र सोलंकी	रसायनज्ञ

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए
तथा आदेशानुसार.

ए. ए. मिश्रा,
सदस्य सचिव.

(55-A-बी)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती समन्वय श्रीवास्तव पत्नी श्री ऋषि श्रीवास्तव घोषणा करती हूँ कि विवाह से पूर्व मेरा नाम समन्वय कुमार श्रीवास्तव था. किन्तु विवाह पश्चात् मैंने अपने नाम के मध्य नाम कुमार हटा दिया है.

वर्तमान में मेरा नाम समन्वय श्रीवास्तव हो गया है. अत: भविष्य में मुझे समन्वय श्रीवास्तव के नाम से ही जाना, पहचाना जायें.

पुराना नाम :

(समन्वय कुमार श्रीवास्तव)

नया नाम :

(समन्वय श्रीवास्तव)
पत्नी श्री ऋषि श्रीवास्तव
सूबे की गोठ लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(52-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती विनती विश्वकर्मा पुत्री स्व. श्री बिरसा मुण्डा राजपूत सर्व-साधारण की सूचना हेतु एतद्द्वारा घोषित करती हूँ कि वर्तमान में मेरा नाम शासकीय अभिलेखों एवं प्रयोजनों श्रीमती विनती विश्वकर्मा अंकित है. मैं अपना नाम शासकीय एवं समस्त प्रयोजनों में अब उक्त के स्थान पर सुश्री विनती राजपूत पुत्री स्व. श्री बिरसा मुण्डा राजपूत अंकित करने की नियमानुसार कार्यवाही कर रही हूँ तथा घोषित करती हूँ कि भविष्य में मुझे सुश्री विनती राजपूत के नाम से ही जाना, पहचाना एवं सम्बोधित किया जाएगा.

पुराना नाम :

(विनती विश्वकर्मा)

नया नाम :

(विनती राजपूत)

6-ए, पूज्य श्री कॉलोनी, दुर्गा मंदिर के पास,
सी. टी. ओ. वैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).

(53-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, हुसैन सिंह चौहान पिता श्री नागु सिंह चौहान, पता-एल/26, रत्नपुरी, रतलाम मध्यप्रदेश यह सूचित करता हूँ कि पहले मेरा नाम हुसैन सिंह चौहान पिता श्री नागु सिंह चौहान था तथा अब मुझे मेरे नए नाम- ''राघव सिंह चौहान'' पिता श्री नागु सिंह चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(हुसैन सिंह चौहान)

नया नाम :

(राघव सिंह चौहान)

एल/26, रत्नपुरी, रतलाम मध्यप्रदेश.

(54-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ''विक्रम सिंह गदारिया/डॉ. विक्रम सिंह गदारिया'' था. किन्तु मेरे द्वारा अपने मूल नाम में से उपनाम ''गदारिया'' को हटाकर विधिवत् प्रकियानुसार नाम परिवर्तन कर लिया है तथा उपनाम के रूप में ''सिंह'' रख लिया है.

अब भविष्य में मुझे ''विक्रम सिंह/डॉ. विक्रम सिंह'' के नाम से ही जाना-पहचाना व समझा जावे. इसी नाम से लेखन, पत्र व्यवहार आदि किया जावे तथा इसी अनुरूप में ''सिंह'' उपनाम के साथ मेरे परिवार के सदस्यों (पत्नि व बच्चों) को भी जाना-पहचाना व समझा जावे. इसी नाम से लेखन, पत्र व्यवहार आदि किया जावे.

पुराना नाम :

(विक्रम सिंह गदारिया/डॉ. विक्रम सिंह गदारिया)

नया नाम :

(विक्रम सिंह/डॉ.विक्रम सिंह)

पद- पशु चिकित्सा, विस्तार अधिकारी,
विकासखण्ड-सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.).

(56-बी.)

CHANGE OF NAME

This is to inform publicly that, I Anushka Nagaich wife of Abi Shankar Nagaich, Resident of 19 Single Storey, SBI Colony, Baldeobagh, Jabalpur do hereby solemnly affirm and declare as under. I state that before marriage in my school and other record, my name was written as Seema Dubey D/o Ramesh Chandra Dubey. After marriage, I am changing the name to Anushka Nagaich in my service and other records.

Henceforth, from this date my name Anushka Nagaich should be read, write and recorded in my service record and all other documents in future

Old Name :

(SEEMA DUBEY)

New Name :

(ANUSHKA NAGAICH)

(64-B.)

NAME OF CHANGE

I, HUSAIN BOHRA changed my name to HUSSAIN LOKHANDWALA and now I would be known as HUSSAIN LOKHANDWALA.

Old Name :

(HUSAIN BOHRA)

New Name :

(HUSSAIN LOKHANDWALA)
Add—150, Khatiwala tank, afrin
Appt. F.No. 302, Saifee Nagar, Indore (M.P.).

(65-B.)

NAME OF CHANGE

I, RAKESH KUMAR changed my name to RAKESH GAUTAM and now I would be known as RAKESH GAUTAM.

Old Name :

(RAKESH KUMAR)

New Name :

(RAKESH GAUTAM)
S/o Kunjan Ram,
Add—Old 670/5, New 530,
Sanawadia, Indore (M.P.).

(66-B.)

NAME OF CHANGE

I, TAHER ALI SAIFEE changed my name to TAHER ALI SOGIAWALA and now I would be known as TAHER ALI SOGIAWALA.

Old Name :

(TAHER ALI SAIFEE)

New Name :

(TAHER ALI SOGIAWALA)
Add—58, Masakin-E-Saifiya,
Opp. Shivalaya Township, Bijalpur,
Indore (M.P.).

(67-B.)

NAME OF CHANGE

I, REKHA KUMARI SIDDHESHWAR changed my name to after marriage VAIDEHI TODEWALE and now I would be known as VAIDEHI TODEWALE.

Old Name :

(REKHA KUMARI SIDDHESHWAR)

New Name :

(VAIDEHI TODEWALE)
Add—116, Lokmanya Nagar,
Keshar Bagh road, Indore (M.P.).

(73-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जे. पी. एण्ड कम्पनी फर्म जिसका पता-38, पटेल नगर, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00179/07, दिनांक 5-3-2007 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री श्रीकिशन मतलानी पिता स्व. श्री चोईथराम मतलानी, 2. श्रीमती शीलादेवी मतलानी पति श्री श्रीकिशन मतलानी, 3. श्री गिरीश मतलानी पिता श्री श्रीकिशन मतलानी, 4. श्रीमती चांदनीदेवी मतलानी पति श्री गिरीश मतलानी थे. जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:-

1. श्री श्रीकिशन मतलानी पिता स्व. श्री चोईथराम मतलानी का देहावसान दिनांक 4-12-2009 को हो गया था. जिस कारण वह पृथक् हो गये हैं.
2. दिनांक 31-3-2011 को श्रीमती हिना वाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी भागीदारी फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई.
3. दिनांक 1-4-2011 को (1) श्रीमती मेघना वाधवानी पति श्री नितेश वाधवानी, (2) श्रीमती सुषमा वाधवानी पति स्व. श्री अशोक वाधवानी, (3) श्रीमती पूनम वाधवानी पति श्री किशोर वाधवानी भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए
4. दिनांक 11-4-2012 को श्रीमती शीलादेवी मतलानी पति स्व. श्री श्रीकिशन मतलानी उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंनें फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है अब फर्म मेसर्स जे. पी. एण्ड कम्पनी से कोई लेना-देना नहीं है.
5. दिनांक 13-4-2015 को उक्त फर्म का पंजीकृत कार्यालय-प्लाट नम्बर-106, स्कीम नम्बर-54, पी. यू. 3, इन्दौर हो गया है.

यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स जे. पी. एण्ड कम्पनी,

1. श्री गिरीश मतलानी पिता श्री श्रीकिशन मतलानी,
2. श्रीमती चांदनीदेवी मतलानी पति श्री गिरीश मतलानी,
3. श्रीमती हिना वाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी,
4. श्रीमती मेघना वाधवानी पति श्री नितेश वाधवानी,
5. श्रीमती सुषमा वाधवानी पति स्व. श्री अशोक वाधवानी,
6. श्रीमती पूनम वाधवानी पति श्री किशोर वाधवानी,
(भागीदार).

(57-बी.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स एमपी फूड प्रोडक्ट्स के साझेदार मोहित गर्ग एवं मुकेश गर्ग के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमपी फूड प्रोडक्ट्स में भागीदार क्र. (1) मोहित गर्ग, (2) मुकेश गर्ग, (3) शालिनी गुप्ता, (4) वी. के. कुकर HUF कर्ता वी. के. कुकर फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें भोपाल में दिनांक 16-04-2013 पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00033/13 है जिसमें दो भागीदार शालिनी गुप्ता दिनांक 26-02-2015 एवं वी. के कुकर दिनांक 10-02-2015 को निवृत्तमान हो गये हैं. उक्त निवृत्तमान भागीदारों का फर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नही है. इनके साथ किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार कृत्य शासकीय-अशासकीय आज दिनांक के बाद मान्य नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति संस्था उक्त साझेदारों से किसी प्रकार का संव्यवहार या कृत्य करती है तो वह अवैधानिक एवं शून्य माना जावेगा.

द्वारा

एन. के. साहू,
(अधिवक्ता)
एफ-9, एलाईड कॉम्पलेक्स,
मोती मस्जिद, भोपाल (म.प्र.).

(58-बी.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकारगण के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकारगण की फर्म मै. इण्डियाना फेब्रीकेटर्स भूखण्ड क्र. 146-जी, सेक्टर-एच. इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल क्षेत्रफल 41324 वर्गफीट. जिसका पार्टनरशिप पंजीयन क्रमांक 196/12-13 है मेरे पक्षकारगण मै., इण्डियाना फेब्रीकेटर्स के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है अब उक्त फर्म का नाम मै. इण्डियाना फेब्रीकेटर्स के स्थान पर मैसर्स इण्डियाना इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज किया जा रहा है जिसकी अनुमति कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल से दिनांक 18-12-2014 को क्रमांक 8690/14, के माध्यम से मेरे पक्षकारगण को प्राप्त हो चुकी है जिसकी पार्टनरशिप डीड दिनांकित 25-09-2014 है जिसके पार्टनर हारुण रशीद खान 80 परसेन्ट एवं इरशाद अहमद खान 20 परसेन्ट के उक्त फर्म में पार्टनर है अब उक्त फ़र्म को मै. इण्डियाना फेब्रीकेटर्स के स्थान पर मैसर्स इण्डियाना इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज के नाम पर फर्म एवं संस्थायें भोपाल मध्यप्रदेश में आवेदित कर नाम परिवर्तन किया जा रहा है यदि उपरोक्त वर्णित फर्म के नाम परिवर्तन में या मैसर्स इण्डियाना इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज नाम पर या उसके किसी भाग या हिस्से से किसी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था, सोसायटी या अन्य का कोई हित स्वत्व संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में या कार्यालय फर्म एवं संस्थायें भोपाल मध्यप्रदेश प्रस्तुत कर सकते हैं समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकारगण पर एवं फर्म एवं संस्थाएं भोपाल मध्यप्रदेश बंधनकारी नहीं होगी और मेरा पक्षकारगण उपरोक्त फर्म का परिवर्तित नाम मैसर्स इण्डियाना इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज नाम का परिवर्तन/पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे.

नरेश पाटीदार,
(एडवोकेट)
पाटीदार लॉ चेम्बर,
2-ए, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल.

(59-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ भवानी बिल्डर्स, स्थित एम. आई. जी. 35, साडा कॉलोनी, राधौगढ़, जिला गुना में दिनांक 01-04-2015 से भागीदार श्री विपेन्द्र कुमार रघुवंशी पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम उमरी, तहसील ईषागढ़, जिला अशोकनगर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2015 से श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी एम. आई. जी. 35, साडा कॉलोनी, राधौगढ़, जिला गुना फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—मैसर्स माँ भवानी बिल्डर्स
लक्ष्मन कुमार ठाकुर,
एम. आई. जी. 35, साडा कॉलोनी,
राधौगढ़, जिला गुना (म. प्र.).

द्वारा—हेमन्त सिरसट (कर सलाहकार)
सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(60-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मोहन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित ई-124, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर में दिनांक 09-05-2015 से भागीदार श्री चन्द्र मोहन पाण्डे पुत्र श्री शिव शंकर लाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से राजवीर सिंह कौरव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह कौरव, निवासी 53, आदर्श कॉलोनी, गोले का मंदिर फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—मोहन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
आदित्य कौरव,
ई-124, पटेल नगर, सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (म. प्र.).

द्वारा—हेमन्त सिरसट (कर सलाहकार)
सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(61-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सीमेन्ट सिंडिकेट, स्थित जिला पंचायत कॉम्पलेक्स, अम्बेडकर भवन के सामने, गुना में दिनांक 20-04-2015 से भागीदार श्री संजय रघुवंशी पुत्र श्री हिन्दू सिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम खेजरा खुर्द, अशोकनगर फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 20-04-2015 से फर्म का स्थान जिला पंचायत कॉम्पलेक्स, अम्बेडकर भवन के सामने गुना से नवीन स्थान एच.डी. एफ. सी. बैंक के सामने, रॉयल हाईट, ए. बी. रोड, गुना मध्यप्रदेश हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—सीमेंट सिंडिकेट
अवधेश सिंह रघुवंशी,
जिला पंचायत कॉम्पलेक्स,
अम्बेडकर भवन के सामने, गुना (म. प्र.).

द्वारा—हेमन्त सिरसट (कर सलाहकार)
सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(62-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-04-2009 से भागीदारी पंजीकृत फर्म मै. अमृतलाल जैन अमृतश्री मेन रोड, हरदा की भागीदारी में 1. श्रीमती साधना जैन, 2. श्रीमती ज्योति जैन, 3. श्रीमती सीमा जैन को भागीदारी के रूप में शामिल किया गया.

फर्म—मेसर्स अमृतलाल जैन
राजीव कुमार जैन,
(भागीदार)
हरदा.

(63-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शाह बल्क कैरियर पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थायें, इन्दौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 18-10-2012 को श्री कन्हैयालाल शाह पिता स्वर्गीय श्री मणिलाल शाह, बी-13, एम. आई. जी. कॉलोनी इन्दौर, ने फर्म से भागीदार के रूप में त्याग-पत्र दिया होकर फर्म से पृथक हो गए हैं एवं फर्म में श्री जिग्नेश शाह पिता श्री कन्हैयालाल शाह, बी-13, एम. आई. जी. कॉलोनी, इन्दौर नए साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अन्तर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है.

मेसर्स शाह बल्क कैरियर
कंचन बेन,
(पार्टनर).

(68-बी.)

PUBLIC NOTICE

(U/s. 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

It is hereby noticed that M/s Bharat Construction registered office at Sky Tower-II, Flat No. G-1, Medical

Hostel Road, Bhopal is a partnership firm which was reconstituted on 20th February, 2015 due to the retirement of the partner. 1. Mr. Mohammad Saood S/o Late Shri Iqubal Masood Syed & the admission of the partner. 1. Mr. Arsalan Fazal S/o Shri Syed Fazal Mahmood both w. e. f. 3rd November, 2014 by virtue of the deed of retirement cum admission executed amongst themselves on 20th February, 2015.

M/s Bharat Construction
ABDUL MOID KHAN,
(Partner)
Sky Tower-II, Flat No. G-1, Medical
Hostel Road, Bhopal (M.P.).

(69-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मोहनलाल घनश्यामदास, जिसका पता-दुकान नम्बर-89, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर मध्यप्रदेश. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0025/15, दिनांक 22-04-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री मोहनलाल किंगरानी पिता श्री घनश्यामदास किंगरानी, 2. श्रीमती ममतादेवी मंडलोई पति श्री लक्ष्मीनारायण मंडलोई, 3. श्री लक्ष्मीनारायण मंडलोई पिता श्री हरिप्रसाद मंडलोई थे. श्री मोहनलाल किंगरानी का देहावसान दिनांक 03-08-2012 को हो गया था. जिस कारण वह पृथक् हो गये हैं. उन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब उनकी जीवितअवस्था में कर लिया था. अब फर्म मेसर्स मोहनलाल घनश्यामदास से कोई लेना-देना नहीं है.

यह विदित हो.

तर्फे

मैसर्स—मोहनलाल घनश्यामदास,
1. श्रीमती ममतादेवी मंडलोई पति श्री लक्ष्मीनारायण मंडलोई,
2. श्री लक्ष्मीनारायण मंडलोई पिता श्री हरिप्रसाद मंडलोई,
(भागीदार).

(70-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स लखमीचंद एण्ड कम्पनी स्थित सब्जी मंडी, कैलारस, जिला मुरैना में दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से भागीदार श्रीमती विद्यादेवी सिंघल पत्नी श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, निवासी मयूर मार्केट, ठाटीपुर, ग्वालियर एवं श्रीमती अनुपमा सिंघल पत्नी श्री पूरनचन्द सिंघल, निवासी मयूर मार्केट, थाटीपुर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गयी हैं, आम जन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—मैसर्स लखमीचन्द एण्ड कम्पनी
भगवती प्रसाद सिंघल,
(भागीदार),
सब्जी मण्डी, कैलारस, जिला मुरैना.

द्वारा—धर्मेन्द्र चतुर्वेदी (एडवोकेट)
जिन्सी नाला रोड, माधव प्लाजा के सामने, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(71-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RAISINGH AND COMPANY, having office at Ward No. 26, Prem Nagar Balaghat (M.P.), a partnership firm incorporated on 01/04/2005, having Nineteen partners as Shri RaiSingh Machhirke, Shri Manmohan Machhirke, Shri Umadas Machhirke, Shri Mehtar Machhirke, Shri Radheshyam Machhirke, Shri Onkar Machhirke, Shri Gantpat Machhirke, Shri Narendra Machhirke, Shri Dilip Machhirke, Shri Mukesh Kumar Machhirke, Shri Rajesh Kumar Machhirke, Shri Rajkumar Basone, Shri Dalpat Machhirke, Shri Hirlal Machhirke, Shri Kasturchand Machhirke, Shri Laxman Lilhare, Shri Surendra Lilhare, Shri Karulal Lilhare and Shri Hagrulal Lilhare. On 01-11-2013. Shri Kasturchand Machhirke expired and thus retired from the firm. Now with effect from 01-11-2013, there shall be eighteen Partners in the firm namely Shri RaiSingh Machhirke, Shri Manmohan Machhirke, Shri Umadas Machhirke,

Shri Mehtar Machhirke, Shri Radheshyam Machhirke, Shri Onkar Machhirke, Shri Gantpat Machhirke, Shri Narendra Machhirke, Shri Dilip Machhirke, Shri Mukesh Kumar Machhirke, Shri Rajesh Kumar Machhirke, Shri Rajkumar Basone, Shri Dalpat Machhirke, Shri Hirlal Machhirke, Shri Laxman Lilhare, Shri Surendra Lilhare, Shri Karulal Lilhare and Shri Hagrulal Lilhare. This Public notice is being published for the purpose of registration of changes in constitution of the firm with office of Registrar of Firms and Society.

M/S RAI SINGH & COMPANY
GANPAT SINGH PATEL,
(Partner)

(69-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर

क्र./529/पं.सा.न्या./2014-15. महू, दिनांक 24 अप्रैल, 2015

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री आशीष मसीह ''प्रेसीडेंट '' मध्यप्रदेश यूनाईटेड क्रिश्चन एसोसीयन एण्ड चेरेटीबल ट्रस्ट महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

संस्था का नाम	:	'' मध्यप्रदेश यूनाईटेड क्रिश्चन एसोसीयन एण्ड चेरेटीबल ट्रस्ट महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश).
पता	:	बंगला नम्बर 136, धार रोड महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1,000/- (अक्षरी एक हजार रुपये मात्र) (कारपस फण्ड)

आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

(265)

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

प्र.क्र./04/बी-113/2014-15. विदिशा, दिनांक 09 अप्रैल, 2015

प्रारुप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री हिम्मतसिंह राठौड पुत्र स्व. भगवानसिंह, अध्यक्ष महाराणा प्रताप राजपूत धर्मशाला एवं दुर्गा मंदिर पब्लिक ट्रस्ट, राजपूत कॉलोनी, विदिशा द्वारा मध्ययप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह हसूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19 मई, 2015 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 19 मई 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पतित का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाब प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	महाराणा प्रताप राजपूत धर्मशाला एवं दुर्गा मंदिर पब्लिक ट्रस्ट, राजपूत कॉलोनी, विदिशा.
2. चल सम्पत्ति	:	राशि रु. 14943/- नकद, प्रताप राजपूत समाज विकास समिति के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, तिलक चौक शाखा विदिशा के खाता नं. 675014020985 में जमा.
3. अचल सम्पत्ति	:	कस्बा विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्र. 1771/2/2 रकबा 0.115 हे., आ. क्र. 1772/2 रकबा 0.039 हे. आ. क्र. 1774/3 रकबा 0.062 हे. पर स्थित के रकबा 110.6×149.3 वर्गफीट में निर्मित.

आर. पी. अहिरवार,
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

(266)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 26 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/329.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 4 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. निम्न संस्थाओं का अस्तिव आज दिनांक 26 मार्च, 2015 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ठनगांव.	महेश्वर	1487/27-07-2006	329/07-10-2013	श्री एस. एस. चौहान, सह. निरीक्षक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	बालिय जलाशय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बालिया.	बडवाह	1395/03-09-2004	761/18-06-2014	श्री मनोहर वास्केल, सह. निरीक्षक.
3.	नाकोडा साख सहकारिता मर्यादित, भीकनगांव.	भीकनगांव	59/23-02-2004 संशोधित पंजी. क्र. 1751/10-03-2014.	1737/28-12-2010	श्री बसंत यादव, सह. निरीक्षक.
4.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	खरगोन	20/26-03-2003 संशोधित पंजी. क्र. 1723/10-03-2014.	1737/28-12-2010	श्री बसंत यादव, सह. निरीक्षक.
5.	अंबिका वर्मी कल्चर एवं जैविक कृषि उत्पादक सहकारिता मर्या., कसरावद.	कसरावद	71/20-04-2005 संशोधित पंजी. क्र. 1773/10-03-2014.	1274/28-09-2013	श्री राजाराम भट्ट, स. वि. अ.
6.	श्री बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगोन.	खरगोन	1327/15-01-2002	776/19-06-2014	श्रीमति प्रभा बघेल,
7.	फसल सुरक्षा सहाकरी संस्था मर्या., बडगांव.	खरगोन	495/09-11-1973	623/09-05-2014	श्री बी. एल.सोलंकी, स. वि. अ.
8.	जय दुर्गे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बेंगदी.	कसरावद	1434/03-08-2005	761/18-06-2014	श्री राजाराम भट्ट, स. वि. अ.
9.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., दसंगा.	खरगोन	1544/14-02-2008	629/09-05-2014	श्री बी. एल.सोलंकी, स. वि. अ.
10.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., मोठापुरा.	खरगोन	1546/14-02-2008	630/09-05-2014	श्री बी. एल.सोलंकी, स. वि. अ.
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कवडिया.	महेश्वर	1489/28-07-2006	1336/07-10-2013	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.
12.	आर. आर. बी. साख सहकारिता मर्या., खरगोन.	खरगोन	92/08-12-2005 संशोधित पंजी. क्र. 1794/10-03-2014.	1592/22-12-2014	श्री के. एन. पांडे, वरि. सह. निरीक्षक.
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटावद.	कसरावद	1091/16-01-1987	1289/20-09-2013	श्री महेन्द्र ठाकुर, सह. निरीक्षक.
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाल्याखेडी.	बडवाह	1283/15-02-2001	1099/27-07-2010	श्री एस. आर. कोचले, व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(267)

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य/संचालक मण्डल,
द्वारा-अध्यक्ष.
जनजागृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी
भण्डार मर्या., बिजावर.

क्र./परि./2014/2052.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह

लेख किया गया है कि जनजागृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बिजावर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आम सभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आम सभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1657, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,
द्वारा-प्रशासक
शुभम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी
भण्डार मर्या., बिजावर.

क्र./परि./2014/2053.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि शुभम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बिजावर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1659, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-A)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

जनहित प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., राजनगर.

क्र./परि./2014/2054.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि जनहित प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., राजनगर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की

जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1661, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-B)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

आजाद प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., खजुराहो.

क्र./परि./2014/2055.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि आजाद प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खजुराहो द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1662, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-C)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., सटई.

क्र./परि./2014/2056.---विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सटई. द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया

जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1658, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-D)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष-श्री संजय चौरसिया,

खजुराहो प्राथमिक सहकारी भण्डार

मर्या., छतरपुर.

पंजीयन क्रमांक 1079, दिनांक 14 नवम्बर, 2005.

क्र./परि./2014/2057.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि खजुराहो प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक

की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1676, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-E)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

श्रद्धेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., छतरपुर.

क्र./परि./2014/2058.—विषयांतर्गत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि श्रद्धेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर. द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आम सभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट

उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1676, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-F)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

अमन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., छतरपुर.

क्र./परि./2014/2059.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि अमन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1677, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-G)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

माँ लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता

सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर.

क्र./परि./2014/2060.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि माँ लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1680, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-H)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

नेशनल प्राथमिक उपभोक्ता

सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर.

क्र./परि./2014/2061.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि नेशनल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1681, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-I)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

ओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., छतरपुर.

क्र./परि./2014/2062.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि ओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1674, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-J)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

लोकहित प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., चन्दला.

क्र./परि./2014/2063.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि लोकहित प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1665, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-K)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., चन्दला.

क्र./परि./2014/2064.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1666, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचनापत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-L)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

इन्द्रागांधी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., बारीगढ़.

क्र./परि./2014/2065.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि इन्द्रागांधी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बारीगढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1667, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-M)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

जनदर्शन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., बारीगढ़.

क्र./परि./2014/2066.—विषयांतर्गत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि जनदर्शन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बारीगढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1678, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-N)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., सरवई.

क्र./परि./2014/2067.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सरवई द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसंभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1670, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-O)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

माँ शारदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., बक्स्वाहा.

क्र./परि./2014/2068.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि माँ शारदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बक्स्वाहा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1663, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-P)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

सरदार भगतसिंह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., बक्स्वाहा.

क्र./परि./2014/2069.---विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि सरदार भगतसिंह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बक्स्वाहा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1664, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-Q)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी
भण्डार मर्या., बंधीकला.

क्र./परि./2014/2070.—विषयांतर्गत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बंधीकला द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1673, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-R)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

स्वामी विवेकानन्द प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., बारीगढ़.

क्र./परि./2014/2071.—विषयांतर्गत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि स्वामी विवेकानन्द प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बारीगढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1669, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-S)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

माँ बगराजन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., गढीमलहरा.

क्र./परि./2014/2072.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि माँ बगराजन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1687, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-T)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

माँ वैष्णो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., गढीमलहरा.

क्र./परि./2014/2073.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि माँ वैष्णो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1686, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-U)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

मार्तण्ड प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., गढीमलहरा.

क्र./परि./2014/2074.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि मार्तण्ड प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1685, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-V)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

गुलशन महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी
भण्डार मर्या., गढीमलहरा.

क्र./परि./2014/2075.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि गुलशन महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आम सभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आम सभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1684, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-W)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

वीरांगना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., गढीमलहरा.

क्र./परि./2014/2076.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि वीरांगना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1688, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-X)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., महाराजपुर.

क्र./परि./2014/2077.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., महाराजपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1689, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268-Y)

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

द्वारा-अध्यक्ष.

पूजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी
भण्डार मर्या., नौगांव.

क्र./परि./2014/2078.—विषयांर्तगत लेख है कि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि पूजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नौगांव द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है.

जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकंक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्डएकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1683, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावाधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है. उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी-रजिस्ट्रार.

(268-Z)

कार्यालय परिसमापक महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., साबौली, जिला शिवपुरी

दिनांक 6 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., साबौली, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 05 सितम्बर, 2003 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1100, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 6 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

पी. सी. गुप्ता,
परिसमापक.

(269)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015 वैशाख 25, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 जनवरी, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है:-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील बमोरी (गुना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील चाचौड़ा, कुंभराज (गुना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.5 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील गुना, राघोगढ़, आरोन (गुना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया, जबलपुर में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, उमरिया, खरगौन, जबलपुर, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में फसल गन्ना व डिण्डोरी में राई-सरसों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14 जनवरी, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .	चालू है.	4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		सरसों, अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) . .		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) . .		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) राई-सरसों, मटर अधिक. गेहूँ, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
~~जिला अशोकनगर:~~	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	44.9		4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	38.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	6.0				
4. आरोन	36.0				
5. चाचौड़ा	33.0				
6. कुम्भराज	27.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	. .		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		कम.		
4. सागर	. .		(2) . .		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ चना, मसूर, अलसी, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, कम. अलसी, जौ, राई, सरसों, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. रामतिल, अलसी, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूं, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		मसूर, जौ, गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		(2) . .		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी,	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		मसूर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम. रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	. .	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का अधिक. गेहूं, चना, तुअर, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) ज्वार, कपास, तुअर, गेहूं, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूं, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) . .		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेंहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बाबई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, जौ, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. . .	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. राई, सरसों की कटाई	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर,	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		कोदों-कुटकी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .			(2) उपरोक्त	फसलें समान.
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ,मटर,		
4. बरघाट	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-		
5. उरई	. .		सरसों कम. तिल, सन,चना समान.		
6. घंसौर	. .		(2) . .		
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.—जिला भिण्ड, अशोकनगर, शहडोल, रतलाम, देवास, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(264)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.